UPAG010059802021

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0)/अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–3, आगरा

प्रभारी पीठासीन अधिकारी–मोहम्मद असलम सिद्दीकी (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP6209

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 3107/2021

नारायण दास उर्फ बबलू पुत्र चोखे लाल निवासी गांव बाग बाधिक थाना सहपऊ, जिला हाथरस, आयु करीब 24 वर्ष

.................आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार ....अभियोजन

धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना–अछनेरा, जिला आगरा
मु0अ0सं0 11/2021
एस.टी.संख्या–597/2021

दिनांक 28.05.2021

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त नारायण दास उर्फ बबलू द्वारा मु0अ0सं0 11/2021, एस.टी.संख्या–597/2021, धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना अछनेरा, जिला आगरा में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र के संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.01.2021 को थाना प्रभारी उदय सिंह मलिक मय हमराहियान थाना हाजा से वहवाले रपट संख्या 44 समय 21.06 बजे रवाना होकर वास्ते रोकथाम अपराध, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति चौकी कुकथला क्षेत्र में गश्त करते हुए महुअर पुल के नीचे पहुंचे तभी मुखविर खास ने सूचना दी कि एक गैंट जो पहले भी कई चोरी व डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुका है, वह अवैध असलहों के साथ हर गोबिन्द ढाबा के सामने बंद पडे रिसॉर्ट में डकैती की योजना बना रहा है। मुखविर की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस बल ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास करके किसी के पास अपराध से

संबंधित वस्तु नहीं है तथा मुखविर के बताये स्थान पर छिपते छुपाते झाड़ियों के पास बैठे व खड़े व्यक्तियों के पास पहुंचे तो पुलिस बल की पकड़ो की आवाज सुनते ही बैठे अपराधियों ने उठकर अवैध असलाह निकालकर पुलिस वालों को गाली देते हुए पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। इसके बावजूद अपराधियों को थाना प्रभारी, बरहन कुलदीप दीक्षित ने दूसरी तरफ चेतावनी दी कि तुम्हें पुलिस बल ने घेर लिया है और स्वयं को पुलिस के हवाले करि दो, नहीं जवाबी फायर होगा किन्तु भाग रहे बदमाशों ने पुलिस टीम की बात न मानते हुए पुनः फायरिंग कर दी जिससे बदमाशों की एक गोली उपनिरीक्षक हेमन्त मावी के कंधे को छूती हुई निकल गयी, तब आत्मरक्षा में प्रभारी थाना बरहन द्वारा अपनी पिस्टल से दो राउण्ड बदमाशों के पैरों को निशाना बनाते हुए फायर किये तो दो अपराधी जमींन पर गिर पड़े जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया तथा बाकी बदमाशों को पुलिस टीम ने आवश्यक बल प्रयोग कर रिसोर्ट के अंदर ही समय करीब 4.45 बजे पकड़ लिया गया। दोनों जमींन पर गिरे बदमाशों को टॉर्च की रोशनी में देखा तो उनके हाथों में अवैध तमन्चा बरामद हुआ। अन्य बदमाशों के साथ नारायण दास उर्फ बबलू पकड़ा गया जिसके कब्जे से एक अद्द अवैध देशी तमन्चा 315 बोर, एक अद्द जिन्दा कारतूस व 3500/—रूपये बरामद हुए। अभियुक्त व अन्य से बरामद माल को कब्जा पुलिस लिया गया। फर्द मौके पर तैयार की गयी। अभियुक्त से बरामद असलहा का लाइसेंस तलब किया गया तो वह दिखाने में कासिर रहा।

फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अछनेरा पर अभियुक्त नारायण दास उर्फ बबलू के विरूद्ध मु0अ0सं0 11/2021 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत हुआ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उसे झूंठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त से कोई अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद नहीं हुए है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की मुख्य अपराध अंतर्गत धारा 399, 402, 307 भा0द0सं0 में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 20, आगरा के न्यायालय से जमानत स्वीकार हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 13.01.2021 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन्हीं आधारों पर जमानत स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को जमानत प्रार्थना पत्र पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना तथा थाने की आख्या व संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विरूद्ध अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद होने का अभियोग है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि संबंधित थाने की पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमन्चा व कारतूस की जो बरामदगी दिखाई गयी है, उसका कोई जनसाक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की मुख्य अपराध अंतर्गत धारा 399, 402, 307 भा0द0सं0 में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 20, आगरा के न्यायालय से जमानत स्वीकार हो चुकी है। मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र पुलिस द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त का चार मुकदमों का आपराधिक इतिहास बताया गया है किन्तु अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह विदित हो कि आवेदक/अभियुक्त की किसी मामले में दोषसिद्धि की गयी है अथवा नहीं। अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 13.01.2021 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

मामले में समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर जाये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त नारायण दास उर्फ बबलू का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त नारायण दास उर्फ बबलू को मु0 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग कि वह विचारण में सहयोग करेगा तथा विचारण के समय अनावश्यक स्थगन नहीं देगा, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर, उसे जामानत पर रिहा किया जाए।

Sd

(मोहम्मद असलम सिद्‌दीकी)

दिनांकः 28.05.2021

प्र0 विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0)/
अपर सत्र न्यायाधीश,न्या0सं0 3, आगरा